

**कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास (म.प्र.)**

☎ O: (07272) 253020, R (07272) 252449 Email- dfotdwas@mp.gov.in, dfodewas@rediffmail.com

देवास, दिनांक 8-8-23

क्रमांक / DM / 2023 / 4364

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
उज्जैन वृत्त उज्जैन

**विषय :-** देवास जिले में नेमावर समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत एम.बी.आर., पम्प हाउस एवं पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.95 हेक्टेयर वनभूमि म.प्र.जल निगत मर्यादित, इन्दौर को उपयोग पर देने बाबद। (FP/MP/water/152376/2022)

**संदर्भ :-** प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्र./एफ-5/1149 /2022/10-11/2270 दिनांक 02.06.2023 ।

—00—

निवेदन है कि उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से देवास जिले में नेमावर समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत एम.बी.आर., पम्प हाउस एवं पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.95 हेक्टेयर वनभूमि म.प्र.जल निगत मर्यादित, इन्दौर को उपयोग पर देने बाबद ऑनलाईन (FP/MP/water/152376/2022) में चाही गयी बिन्दु क्रमांक 3 के पालन में आवेदक संस्था के जस्टिफिकेशन पर हस्ताक्षर कर एवं बिन्दु क्रमांक 7 के पालन में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयन की गयी वनभूमि का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

**संलग्न :-** उपरोक्तानुसार

वन मण्डल अधिकारी  
वनमण्डल(क्षेत्रीय), देवास

देवास, दिनांक 8-8-23

पृ.क्रमांक / DM / 2023 / 4365

प्रतिलिपि -

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
2. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, इन्दौर की सूचनार्थ प्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी  
वनमण्डल(क्षेत्रीय), देवास

भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रिय कार्यालय भोपाल का पत्र  
क्र. 6 एम.पी. बी. 035/2022 बी.एच.ओ. दिनांक 24.02.2023 द्वारा चाही गयी बिन्दुवार  
जानकारी निम्नानुसार है :-

बिन्दु क्र. 01 :- बिन्दु अनुसार नॉन फॉरेस्ट एवं फॉरेस्ट एरिया की के.एम.एल. फाईल अपलोड कर दी गई है।

बिन्दु क्र. 02 :- नेमावर समूह जल प्रदाय योजना का स्रोत नर्मदा नदी होकर उक्त नदी नेमावर के समीप स्थित है। उक्त नदी के समीप ही योजना का इन्टेकवेल तथा जल शुद्धिकरण संयंत्र निर्मित है।

योजना अंतर्गत निर्मित जल शुद्धिकरण संयंत्र से जल पम्प कर, क्लीयर वॉटर पम्पिंग मेन (500 मि.मि. व्यास डी.आई.के-9) द्वारा जिसकी लम्बाई 70 कि.मी. है, तथा उक्त पाईप लाईन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 के ROW में नियमानुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर बिछाई जा रही है। उक्त पम्पिंग मेन के एकमात्र अलाइनमेंट पर ही एम.बी.आर तथा पम्प हॉउस का निर्माण टेक्नीकली उचित होने से किया जाना है तथा इस हेतु कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। पम्पिंग मेन एवं पम्प हाऊस तथा एम.बी.आर. का नक्शा संलग्न है।

बिन्दु क्र. 3 :- नेमावर समूह जल प्रदाय योजना जिसके द्वारा 125 ग्रामों में निवासरत रहवासियों जिनकी डिजाइन अनुसार वर्ष 2031 की जनसंख्या 2,95,367 आंकलित है, को शुद्ध जल प्रदाय किया जाना है। उक्त योजना का निर्माण भारत शासन की महत्वपूर्ण "जल जीवन मिशन योजना" अंतर्गत, निर्धारित मापदण्डो अनुसार किया जा रहा है। योजना का स्रोत नर्मदा नदी है, जो की ग्राम नेमावर के समीप स्थित है, वही योजना के इन्टेकवेल तथा जल शुद्धिकरण संयंत्र निर्मित है।

उक्त जल शुद्धिकरण संयंत्र से पम्पिंग मेन के माध्यम से शुद्ध जल पम्प कर एम.बी.आर. को (ग्राम छायन के समीप) भरा जाना प्रस्तावित हैं। उक्त पम्पिंग मेन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 के ROW में बिछाये जाने की सक्षम स्वीकृति विभाग द्वारा प्राप्त कर नियमानुसार बैंक ग्यारंटी राशि रु. 78,75,000/- तथा लायसेंस राशि 87,71,250/- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग में जमा करवा दी गई है।

तकनीकी आधार पर जल शुद्धिकरण संयंत्र से पम्प कर ग्राम छायन के समीप उपलब्ध सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में एम.बी.आर. का निर्माण कार्य करवाना तथा उक्त एम.बी.आर. के माध्यम से 125 ग्रामों को जल प्रदाय हेतु निर्मित की जाने वाली 78 उच्च स्तरीय आर.सी.सी. टंकियों को ग्रेव्हीटीमेन पाईप लाईन से भरा जाकर किया जाना आवश्यक होने से उक्त भूमि का चयन तकनीकी आधार पर किया गया है तथा इस हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं होने से उक्त भूमि का चयन जो टेक्नोइकॉनामिकली सबसे उचित होने से किया गया है

बिन्दु क्र. 4 :- योजना अंतर्गत प्रस्तावित 70 किमी. लम्बाई में बिछायी जाने वाली पम्पिंग पाईप लाईन (500 एम.एम. व्यास की डी.आई.के-9) भारतीय राजमार्ग के ROW में बिछायी जाना है उक्त फर्म हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से प्राप्त स्वीकृति का पत्र संलग्न है।

बिन्दु क्र. 5 :- नेमावर समूह जल प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति की प्रति संलग्न है।

बिन्दु क्र. 6 :- सी.ए. स्कीम वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार "दुगने बिगड़े वन क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु राशि रु. 20 लाख की तैयार की गई है। योजना की तकनीकी स्वीकृति की प्रति संलग्न है।



विन्दु क्र. 7

## क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण - पत्र

वैकल्पिक वृक्षारोपण अंतर्गत बिगडें वनो का सुधार हेतु वृक्षारोपण नागदा हेतु संलग्न प्रोजेक्ट अनुसार देवास वनपरिक्षेत्र के आरक्षित कक्ष क्रमांक 02 जिसका कुल रकबा 465.420 हे. में से रकबा 05.000 हे. रोपण हेतु उपयुक्त है। क्षेत्र होकर घनत्व 0.1 से 0.2 तक है, वन क्षेत्र BL1, BL2 प्रकार का है। एवं मृदा का परिक्षण कराया गया है जो रोपण हेतु उपयुक्त है।

वनपरिक्षेत्र अधिकारी  
वनपरिक्षेत्र क्ष. देवास

उपवनमण्डल अधिकारी  
उपवनमण्डल देवास (सा.)

वन संरक्षक  
एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी  
वन मण्डल क्ष. देवास

## Justification for Locating the project in Forest Land

The project namely "Nemawar Multi Village Rural Water Supply Scheme" under Jal Jeevan Mission is proposed to provide drinking water to 123 Rural Villages & 2 Urban Towns of District Dewas taking river Narmada (Nemawar) as the Source. To convey water to command area, the most economical option to convey water is by Gravity flow. Since elevation of Pipeline is higher in this area so that advantage of gravity flow can be utilized and exorbitant recurring maintenance cost will be saved. Hence permission is requested



(Ravindra Rai)  
Deputy Manager,  
MP Jal Nigam PIU, Indore

7

Contd. signed. Based on the information  
provided by the User Agency



वन मण्डल अधिकारी  
वन मण्डल (से) देवास (म प्र)